सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

30 चैत्र, 1948 (श०)

संख्या - 170 राँची, सोमवार, 20 अप्रैल, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

23 मार्च, 2026

संख्या-02/नि0सं0-12-241/2014 का. 1811--श्री शिवशंकर पाण्डेय, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-480/20), अंचल अधिकारी, राँची शहर द्वारा विभागीय संकल्प संख्या 24029(HRMS) दिनांक 12.09.2023 द्वारा उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में विभागीय संकल्प संख्या 33404(HRMS), दिनांक 17.10.2025 द्वारा आरोप मुक्त किये जाने के फलस्वरूप अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान करने का अनुरोध किया गया ।

2. उल्लेखनीय है कि श्री पाण्डेय का तत्कालीन अंचल अधिकारी, सदर मेदिनीनगर, पलामू के कार्यावधि में उनके विरूद्ध अनियमित रूप से LPC निर्गत करने, राजस्व नियमवाली के प्रतिकूल कार्य करने तथा सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल आचरण करने संबंधी आरोपों के लिए उपायुक्त, पलामू के पत्रांक 1618 दिनांक 27.08.2019 द्वारा प्रपत्र 'क' में आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया। उक्त आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं0 24029(HRMS) दिनांक 12.09.2023 द्वारा श्री पाण्डेय के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई ।

3. श्री पाण्डेय के विरूद्ध संचालित उपरोक्त विभागीय कार्यवाही लंबित रहने के कारण दिनांक 28.03.2025 एवं 23.04.2025 को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति हेतु सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में श्री पाण्डेय के संबंध में समिति द्वारा अनुशंसा मुहरबंद लिफाफा में रखने की प्रक्रिया अपनायी गई।

4. श्री पाण्डेय के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक 396 दिनांक 08.07.2025 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के सम्यक समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं० 33404(HRMS) दिनांक 17.10.2025 द्वारा श्री पाण्डेय को आरोप मुक्त किया गया।

5. विभागीय संकल्प सं० 6227 दिनांक 20.11.2008 की कण्डिका 2(vi) के अनुसार किसी अनुशासनिक मामले /आपराधिक कार्यवाही, जिसमें सरकारी सेवक के विरूद्ध आरोपों को समाप्त कर दिया जाता है अथवा वापस ले लिया जाता तो पूर्णतः दोषमुक्त होने की स्थिति में उसकी प्रोन्नति की तारीख मुहरबन्द लिफाफ में रखे गए निष्कर्षों के अनुसार उसके लिए निर्धारित क्रमानुसार तथा उस क्रम में उससे ठीक नीचे के कनीय अधिकारी की प्रोन्नति की तारीख के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी ।

6. विभागीय संकल्प सं० 33404(HRMS) दिनांक 17.10.2025 द्वारा श्री पाण्डेय को उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में आरोप मुक्त किये जाने के फलस्वरूप विभागीय संकल्प सं0 6227 दिनांक 20.11.2008 की कण्डिका 2(vi) के आलोक में श्री पाण्डेय की प्रोन्नति से संबंधित दिनांक 28.03.2025 एवं 23.04.2025 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में संधारित मुहरबंद लिफाफा को दिनांक 20.02.2026 को खोला गया ।

-विभागीय प्रोन्नति समिति की दिनांक 28.03.2025 एवं 23.04.2025 को सम्पन्न बैठक में समिति द्वारा श्री पाण्डेय के संबंध में "प्रोन्नति के योग्य" अनुशंसा की गई है ।

7. श्री शिवशंकर पाण्डेय, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 480/20) से कनीय श्री मिथिलेश कुमार सिंह (कोटि क्रमांक-482/20) को विभागीय अधिसूचना सं0 2824 दिनांक 16.05.2025 द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान की गई है ।

8. अतः श्री शिवशंकर पाण्डेय, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-480/20) को उनसे कनीय श्री मिथिलेश कुमार सिंह (कोटि क्रमांक-482/20) को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान PB-III 15600-39100 GP-6600, पुनरीक्षित Pay matrix Level- 11) में प्रदत्त प्रोन्नति की तिथि 16.05.2025 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान करते हुए अंचल अधिकारी, राँची शहर के धारित पद को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान PB-III 15600-39100 GP-6600, पुनरीक्षित Pay matrix Level- 11) में उत्क्रमित करते हुए उक्त पद पर तत्काल प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है ।

9. झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-58 तथा झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-74 के आलोक में श्री पाण्डेय को प्रदत्त प्रोन्नति का वास्तविक वित्तीय लाभ एवं अन्य सुविधाएँ प्रोन्नत पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि से देय होगा ।

10. यह प्रोन्नति याचिका संख्या WP(S) No. 4357/2020 समीर कच्छप एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य, WP(S) No. 3792/2016 अमरेन्द्र सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रभावित होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरू,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 170 - 50